न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय माहोंद)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
Ro९/21	10.11.21	15.11.21

1. ताराचन्द पुत्र हरिसिह
2. करणसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट निवासी जाटका तहसील किशनगढबास

:– वादीगण:–

बनाम

1. राज0 राज्य सरकार जर्येजिलाधीश अलवर द्वारा पैरोकार तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– प्रतिवादी:–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती

जेर दफा 88,89

पर्चा डिक्री

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर हाल जमाबंदी के ख0न0 खसरा सख्या 229, 51, 53, 750, 752, 610, 624, 666 वाके ग्राम जाटका व ख0न0 273, 92, 96, 190, 77, 94, 132, 274, 124 वाके ग्राम साहुबासं व आराजी ख0न0 1/968, 1/983, 2, 3, 6 वाके ग्राम ओदरा तह0 किशनगढबास जिला अलवर में वादीगण के पिता का नाम सिंघाराम उर्फ सिहाराम लिखा हुआ है उसे कलमजन किया जाकर **हरीसिंह उर्फ सिहांराम** अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्वंयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय माहोंद)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
170 A/21	10.11.21	15.11.21

1. तारांचन्द पुत्र हरिसिह
2. करणसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट निवासी जाटका तहसील किशनगढबास

:– वादीगण:–

बनाम

1. राज0 राज्य सरकार जर्येजिलाधीश अलवर द्वारा पैरोकार तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर राज0

:– प्रतिवादी:–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती

जेर दफा 88,89

निर्णय

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई दावा वादी के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:–

आराजी ख0 न0 229,51, 53, 750, 752,610, 624, 666 वाके ग्राम जाटका व खसरा सं0 273,92,96,190,77,94,132,274,124 वाके ग्राम साहबास व आराजी ख0सं0 1/968, 1/983, 2,3,6 वाके ग्राम ओदरा तह0 किशनगढबास जिला अलवर स्थित है जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी हम वादीगण की सह खातेदारी की आराजी है जिस पर हम वादीगण शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करते चले आ रहे है मोके पर हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है तथा फसल काश्त की हुई है एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है। तथा लगान एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो रहा है। तथा लगान एवं राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो रहा है। हम वादीगण के पितांजी श्री हरीसिंह जी के दो नाम थे जिन्हे गावं में सिघाराम उर्फ सिंहाराम के नाम से बोलते थे।किन्तुं हम वादीगण के पिता का वास्तविक नाम हरीसिंह जो नाम हमारे आधार कार्ड वोटर लिस्ट राशन पहचान पत्र आदि में तथा अन्य सह खातेदारी की आराजीयात में हरीसिंह ही अंकित है। लेकिन विवादित आराजी के राजस्व रिर्काड में गांव में बोलता नाम सिंघाराम उर्फ सिहाराम अंकित हो गया हे जो अंकन सहवन से गलत हुआ है जबकि हम वादीगण के पिता का वास्तविक नाम हरीसिंह है इसलिये हम वादीगण यह घोषणा कराने के हकदार है कि जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। हम वादीगण ने प्रातिवादी के कार्यालय में अनेको बार चक्कर लगाये तथा राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम शुद्व करने के लिए आग्राह किया किन्तु हर बार प्रतिवादी टालबाल कर समय निकालते रहे तथा दिनांक 20.10.21 को प्रतिवादी नाम शुद्व करने से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner

स्पष्ट तौर पर इंकार हो गये वादीगण को बेदखल करने की तथा विवादित आराजी को कब्जे राज लेने की धमकी दी जिसमें अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया। कानूनन प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर करने से पूर्व उन्हे नोटिस 80 जा0दी0 दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रतिवादी हम वादीगणन को विवादित आराजी से बेदखल कर आराजी मुसादाविया को कब्जे राज लेने पर आमदा है, मामला अत्यन्त आवश्यक नेचर का है इसलिए बिला नोटिस ही दावा हाजा लाजिम आया है प्रार्थना पत्र 80(2) जा0दी0 हमराह वाद पत्र है।

अंत में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है:-

अ. डिक्री इजराय इश्तकराहक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण के पिता का शुद्ध नाम सिंघाराम उर्फ सिंहाराम ना होकर हरीसिंह है तथा विवादित आराजी हाल खसरा सख्या 229, 51, 53, 750,752,610,624,666 वाके ग्राम जाटका व ख0न0 273, 92,96,190,77,94,132,274, 124 वाके ग्राम साहुवास व आराजी ख0स0 1/968, 1/983, 2,3,6 वाके ग्राम ओदरा तह0 किशनगढबास जिला अलवर में वादीगण के पिता का नाम हरींसिह के स्थान पर सिंघाराम उर्फ सिहाराम लिखा हुआ है उसे हजफ किया जाकर हरीसिंह अंकित फरमाया जावे।'

ब. दीगर दादरसी अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरियें सम्मन तलब किया गया। वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि में नकल जमांबंदी हाल, नामांतकरण वाके ग्राम जाटका दिनांक 12.6.81, नामांतकरण ग्राम पंचायत माहोद दिनांक 5.7.13 में वादीगण के भाई मृतक हरफूल विरास्त का इंतकाल में भी हरफूल पुत्र हरीसिंह उर्फ सिहाराम दर्ज। है। वादीगण ने अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड , तथा मतदाता सूची पेश की है।

आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में ग्राम पचायत मुख्यालय माहोद पर वादीगण उपस्थित हुए, वादीगण को सुना गया। तथा पैरोकार सरकार को भी सुना गया। वादीगण ने बताया कि आराजी विवादित में वादीगण के पिता का नाम हरींसिह के स्थान पर सिंघाराम उर्फ सिहाराम लिखा हुआ है उसे हजफ किया जाकर हरीसिंह अंकित फरमाया जावे।

पक्षकारान को सुनने के पश्चात हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली में पस्तुत नकल जमांबदी हाल वाके ग्राम माहोद के खाता सं0 85, 12,11,10 में वादीगण के पिता का नाम हरीसिह दर्ज है एव नामांतकरण दिनांक 12.6.81 में भी वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह दर्ज है तथा वादीगण के भाई मृतक हरफूल की विरास्त इंतकाल दिनांक 5.7.13 में भी वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह उर्फ सिहाराम दर्ज है।वादीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड , तथा मतदाता सूची से भी साबित है कि वादीगण के पिता का नाम सिंघाराम उर्फ सिहाराम की जगह सही नाम हरीसिह है। इस प्रकार वादीगण का वाद भली भाति साबित होता है।वाद डिक्री किया जाना कानून संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner

अतः आदेश है कि:–

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर हाल जमाबंदी के ख0न0 खसरा संख्या 229, 51, 53, 750, 752, 610, 624, 666 वाके ग्राम जाटका व ख0न0 273, 92, 96, 190, 77, 94, 132, 274, 124 वाके ग्राम साहुबास व आराजी ख0न0 1/968, 1/983, 2, 3, 6 वाके ग्राम ओदरा तह0 किशनगढबास जिला अलवर में वादीगण के पिता का नाम सिंघाराम उर्फ सिहाराम लिखा हुआ है उसे कलमजन किया जाकर हरीसिंह उर्फ सिहाराम अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है.तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिकी मुर्तब्र हो । प्रत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर प्रशासन गॉवो के संग अभियान–2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय माहोद पर सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner